P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-2* (Part-1) October- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का मूल्यांकन निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के आलोक में

सौरभ सक्सेना
शोधार्थी
शिक्षाशास्त्र विभाग,
स्वामी एजूकेशनल कॉम्पलेक्स,
पूरनपुर, पीलीभीत

सारांश

निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 ने निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार किया है परन्तु धरातलीय स्थिति में उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का स्तर दयनीय है। सरकारी प्रयासों से निरन्तर सकल नामांकन अनुपात तो बढ़ा है परन्तु शिक्षा की गुणवत्ता सम्वर्धन पर अभी बहुत काम होना बाकी है जिससे सरकारी विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त बालक/ बालिकाएं अन्य निजि विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त बालक/बालिकाओं से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस शोध के माध्यम से वर्तमान प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समस्याओं, याजनाओं, समाधान व प्राथमिक सरकारी शिक्षा के भविष्य को बताने का प्रयास किया गया।

मुख्य शब्द : प्राथमिक शिक्षा, बालक, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 व सकल नामांकन अनुपात।

प्रस्तावना

सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को तीन सोपानों (प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा) में विभक्त किया जा सकता है परन्तु प्रारम्भिक शिक्षा ही शिक्षा की आधारशिला है। प्रारम्भिक विद्यालय वह स्थान है जहां नागरिकों की जड़ की तैयारी की जाती है, जहां छात्र कल राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए अनुशासन सीखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्राथमिक शिक्षा की भूमिका विद्यार्थियों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करना अर्थात् सभी छात्र अपनी संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक और शारीरिक कौशल को अपनी क्षमताओं में से सर्वश्रेष्ठ बनाने में सक्षम हो, उन्हें अपने आगे की शिक्षा व जीवन के लिये तैयार करना।

अतः शिक्षा सभी के लिए एक बुनियादी मानव अधिकार है। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही सभी अन्य मानवाधिकारों को प्राप्त कर सकता है। निःसंदेह शिक्षा जीवन में किसी व्यक्ति की संभावनाओं को बेहतर बनाती है। शिक्षा गरीबी को कम करती है, सामाजिक असमानताओं को कम करती है, महिलाओं को शक्ति देती है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मद्द करती है। अतः सरकारों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो शिक्षा को 1948 में अन्तर्राष्ट्रीय कानून में बुनियादी मानव अधिकार के सन्दर्भ किया गया है।

अतः शिक्षा महत्वपूर्ण मानव अधिकार है और बच्चों, समुदायों के विकास के एक महत्वपूर्ण कारक है। सभी बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों के लिए कक्षा के दरवाजे खोलना, गरीबी की अंतः क्रियात्मक, श्रृंखलाएं तोड़ने के समान है क्योंकि शिक्षा आतंरिक रूप से सभी विकास लक्ष्यों से जुड़ी हुई है, जैसे लिंग सशक्तिकरण का समर्थन करना, बाल स्वास्थ्य और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, बीमारियों की रोकथाम, आर्थिक विकास में वृद्धि इत्यादि।

इन्हीं सब बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने शिक्षित होना हर भारतीय का मौलिक अधिकार स्वीकार करते हुये बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अधिकार 9 अगस्त 2009 को लागू कर दिया और हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाने के लिए 135 देशों में इसे एक बन गया।

अध्ययन का उद्देश्य

1. उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्राथमिक शिक्षा स्थिति का मूल्यांकन।
2. निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का प्राथमिक शिक्षा पर प्रभाव।
3. वर्तमान प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं व उनका समाधान।

अध्ययन की कार्यप्रणाली

इस प्रास्तवित शोध में नवाबगंज तहसील के पांच प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया हैं। कि वह कैसे इस अधिनियम का प्रयोग कर रहे है।

प्राथमिक समंक

प्राथमिक समंको के लिए प्रश्नोतरी व अवलोकन प्रकिया का प्रयोग किया गया। और औपचारिक व अनौपचारिक वार्तालाप किया गया है।

द्वितीयक समंक

द्वितीयक समंको के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदर्शित स्त्रोतो को प्रयोग किया गया तथा साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए गजट तथा सरकार की तरफ से जारी किए गए नियमों की किताबें आदि।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक लम्बी कहानी है। प्रारम्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद–45 में यह घोषणा की गई थी कि–

'राज्य संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की कालावधि के अन्दर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबन्ध करने का प्रयास करेगा।'और तभी से राज्यों ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास शुरू किया। आगे चलकर 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद–21 का जोड़ा गया जो इस प्रकार है–

'राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबन्ध करेगा।'

साथ ही अनुच्छेद– 45 की पूर्व घोषणा निम्न घोषणा से प्रतिस्थापित की गई–

'राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख–रेख और शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।'

और 86वें संविधान संशोधन में ही संविधान के भाग–4 क में वर्णित मूल कर्त्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य 51 (ट) जोड़ा गया जो इस प्रकार है–

'माता–पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले, अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

टागे चलकर 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। सरकार ने 1 अप्रैल, 2010 से इसे कानून के रूप में लागू भी कर दिया है।

साहित्यावलोकन

प्राथमिक शिक्षा की साहित्यिक समीक्षा अग्रलिखित है –

1813 में चार्टर एक्ट

शैक्षिक नियम लागू कर कर के अंग्रेजों ने भारत में प्राच्य शिक्षावादी नीति लाने काप्रयासकिया.सरकार के विधि सदस्य "लॉर्ड मैकोले" ने प्राच्यवादी देशी शिक्षा के बजाय पाश्चात्यवादी अंग्रेजी शिक्षा का अपने प्रसिद्ध दस्तावेज में पुरजोर समर्थन किया. मैकोले के अनुसार शिक्षा का आवश्यक उद्देश्य एक ऐसे वर्ग को तैयार करना था जिसे औपनिवेशक सरकार में निचले दर्जे की नौकरियों पर रखा जा सके ताकि यहाँ के लोगों पर शासन करने में आसानी हो। लॉर्ड मैकोले की सलाह पर तत्कालीन गवर्नर जनरल "लॉर्ड विलियम (Lord William)" ने 1837 में अंग्रेजी को "सरकारी भाषा" का दर्जा दिया। अब सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्य हो गयी।

हार्टोग कमेटी 1929

जिसका गठन साईमन कमीशन ने 1929 में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किया था. अधिकांश विद्यार्थी जो पहली कक्षा में प्रवेश लेते थे, चौथवीं–पाँचवी कक्षा तक पहुँचते–पहुँचते पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। अतः इस अपव्यय को रोकने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक और वाणिज्यिक विषयों पर जोर दिया गया. तकनीकी, वाणिज्य और कृषि हाईस्कूल स्थापित किये गए।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद

1951 से हमारे देश में सभी विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से शुरु किए गए। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) शुरु हुई। इस योजना में शिक्षा पर 153 करोड़ रूपये व्यय किए गए जिनमें से 85 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं उसके उन्नयन पर व्यय किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–61) में शिक्षा पर 273 करोड़ रुपये व्यय किए जिनमें से 95 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किए गए। इस योजना के दौरान 1957 में केन्द्र में 'अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद' का गठन किया गया और इसे प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन सम्बन्ध में सुझाव देने का कार्य सौंपा गया। इस परिषद ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए, परिणामस्वरूप उसके प्रसार में तेजी आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–66) में शिक्षा पर 589 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जिनमें से 201 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किए गए। परिणामतः इन योजनाओं के दौरान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, दोनों प्रकार के विद्यालयों और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई।

कोठारी कमीशन

भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 ई0 को अपने 'प्रस्ताव' में नवीन शिक्षा–आयोग की नियुक्ति के कारणों का स्पष्टीकरण किया और उसी 'प्रस्ताव' द्वार 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के प्रो0 डी0एस0 कोठारी की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय–शिक्षा–आयोग' की नियुक्ति की घोषणा की। 'आयोग' का उद्घाटन 2 अक्टूबर, 1964 ई0 को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने कहा, ''मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आयोग, शिक्षा के समस्त पहलुओं–प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालयों और टेक्निकल की जांच करके ऐसे सुझाव

दे जिससे हमारी शिक्षा–व्यवस्था के सभी स्तरों पर उन्नति करने में सहायता प्राप्त हो।''

'कोठारी आयोग' का विचार है– ''शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सुधार यह है कि इसको इस प्रकार परिवर्तित करने का प्रयास किया जाये कि इसका व्यक्तियों के जीवन, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं से संबंध स्थापित हो जाये। इस प्रकार शिक्षा को उस सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का शक्तिशाली साधन बनाया जाये, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।''

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 'कोठारी आयोग' ने 'पंचमुखी कार्यक्रम' का विचार प्रस्तुत किया–

(अ) शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि।
(ब) शिक्षा के द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास।
(स) शिक्षा द्वारा लोकतन्त्र की सुदृढ़ता।
(द) शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी।
(य) शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके चरित्र का निर्माण।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ इसके लागू करने के लिए पूरी कार्य योजना भी बनाई गई। 1992 में जब इसमें कुछ संशोधन किए गए तो साथ ही इसकी कार्य योजना में भी कुछ संशोधन किए गए और उसे कार्य योजना, 1992 के नाम से प्रकाशित किया गया। वर्तमान में देश में इसी नीति का पालन हो रहा है और इसी नीति के तहत शिक्षा के हर स्तर पर प्रसार एवं उन्नयन, दोनों कार्य किए जा रहे हैं। इस नीति के तहत अब तक जो विशेष हुआ है उसे निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है–

1. केन्द्र और प्रान्तों के शिखा बजटों में बढ़ोतरी शुरु हुई है, यह बात दूसरी है कि केन्द्र के बजट में शिक्षा पर 6 प्रतिशत व्यय अभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका है।
2. पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो गई है, यह बात दूसरी है कि पूरे देश में प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या अभी तक लागू नहीं हो पाई है।
3. शिशुओं की देखभाल और पोषण तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, देश में 2 लाख से अधिक तो आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां स्थापित की जा चुकी हैं और इनमें 2 करोड़ से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, कितने लाभान्वित हो रहे थे, यह दूसरी बात है।
4. प्राथमिक शिक्षा का तेजी से प्रसार एवं उन्नयन हो रहा है। ब्लैकबोर्ड योजना के तहत 2009 तक लगभग 85 प्रतिशत प्राथमिक और लगभग 65 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्कूलों की दशा में सुधार किया जा चुका था, यह बात दूसरी है कि किस स्तर का।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड

संविधान की धारा 45 में 14 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं को दस वर्ष के अन्दर अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य को सौंपा गया था। संविधान लागू होने के इतने अधिक वर्षों के उपरान्त भी राज्य इस संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में असमर्थ रहा है। स्वाधीनता के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा का प्रसार काफी तीव्र गति से किया गया जिसके फलस्वरूप अनेक स्थानों पर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। परन्तु विद्यालयों की संख्या में इस वृद्धि का उनकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्राथमिक विद्यालय खोलते समय आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर ध्यान नहीं दिया गया। अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में टाटपट्टी, पीने का पानी, भवन, श्यामपट्ट, शैक्षिक उपकरण, खेल का मैदान जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। चतुर्थ अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण (1978) ने स्पष्ट कर दिया है कि लगभग 9 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों के पास भवन नहीं थे। स्कूल भवन के अभाव में इन स्कूलों में अन्य सुविधाओं के होने का तो प्रश्न ही न था। अखिल भारतीय स्तर पर 41.5 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में श्यामपट्ट नहीं थे। 72 प्रतिशत स्कूलों में किसी भी प्रकार की पुस्तकालय सुविधायें नहीं थीं तथा 53.4 प्रतिशत स्कूलों में खेल के मैदान न थे। कुछ क्षेत्रों के स्कूलों में तो पीने के पानी तथा मूत्रालय जैसी मूल सुविधायें भी उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के 89 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में मूत्रालय, शौचालय जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव था। भारत सरकार द्वारा 1985 में जारी दस्तावेज ''शिक्षा की चुनौती–नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य'' में प्राथमिक शिक्षा की इन कमियों को इंगित किया गया था तथा इनमें सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। भारत सरकार के द्वारा सन् 1986 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। शिक्षा की इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता को महसूस किया गया तथा यह संकल्प लिया गया कि प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन कार्यक्रम भी तैयार किया जिसमें नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शैक्षिक विकास एवं क्रियाकलापों की प्राथमिकता का निर्धारण किया गया है। प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक–बोर्ड नामक कार्यक्रम तैयार किया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। ऑपरेशन ब्लैक–बोर्ड शब्द युग्म का प्रथम शब्द ऑपरेशन इस बात को इंगित करता है कि–

1. इस कार्यक्रम की अत्यन्त आवश्यकता है।
2. इस कार्यक्रम से सम्बन्धित उद्देश्य स्पष्ट तथा सुनिश्चित हैं, तथा
3. सरकार तथा जनता इन उद्देश्यों को पूर्व निश्चित समय में प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रखती है।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों में (क) दो बड़े कमरे जिन्हें प्रत्येक मौसम में प्रयोग में लाया जा सके। (ख) आवश्यक खिलौने व खेल सामग्री (ग) श्यामपट्ट (घ) मानचित्र (ङ) चार्ट तथा (च) अन्य अधिगम सामग्री को न्यूनतम आवश्यकताओं के रूप में निर्धारित किया गया है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-2* (Part-1) October- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सर्वशिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए किया गया, जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है जिसके तहत 6–14 साल के बच्चों (2001 में 205 मिलियन अनुमानित) की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। एसएसए में 8 मुख्य कार्यक्रम हैं। इसमें आईसीडीएस और आंगनवाड़ी आदि शामिल हैं। इसमें केजीबीवीवाई भी शामिल है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरूआत 2004 में हुई जिसमें सारी लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना देखा गया, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की योजना प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के निमित्त मिशन पद्धति अपनाए जाने के संबंध में अक्टूबर 1998 में आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों का परिणाम है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता नौवीं योजना के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के बीच 85%15 की भागीदारी के आधार पर थी, दसवीं योजना के दौरान 75:25 और इसके बाद 50%50 के आधार पर थी।

कार्यक्रम में समूचे देश को शामिल किया गया है और 12.3 लाख बस्तियों में 19.4 करोड़ बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। इस योजना के आधीन लगभग 8.5 लाख मौजूदा प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूल तथा 33 लाख मौजूदा अध्यापक शामिल हैं। वर्ष 2004–05 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 598 जिलों की वार्षिक कार्य योजनाओं को स्वीकृति किया गया। इस कार्यक्रम में ऐसी बस्तियों में नए स्कूल स्थापित करना, जहाँ कोई स्कूली सुविधाएँ मौजूद नहीं हैं तथा अतिरिक्त क्लासरूमों, पेयजल, अनुरक्षण अनुदान तथा सामाजिक सुधार अनुदान के प्रावधान के माध्यम से स्कूल के मौजूदा आधारिक तंत्र को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाएगा। एसएसए में लड़कियों और कमजोर वर्गों के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। दसवीं योजना के दौरान एसएसए के लिए 17,000 करोड़ रु. का आवंटन किया गया। एसएसए की वजह से विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या वर्ष 2001 में 3.5 करोड़ से घटकर वर्ष 2003–04 में 2.3 करोड़ हो गई।

मध्याहन भोजन योजना

नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा इसके साथ–साथ बच्चों में पौषाणिक स्तार में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 1995 को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीकम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्री य पौषणिक सहायता कार्यक्रम (एनपी–एनएसपीई) शुरू किया गया था।

वर्ष 2001 में एमडीएमएस पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना बन गई जिसके तहत प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्ती प्राथमिक स्क ल के प्रत्येक बच्चे को न्यूनतम 200 दिनों के लिए 8–12 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन और ऊर्जा के न्यूनतम 300 कैलोरी अंश के साथ मध्याह्न भोजन परोसा जाना था। स्कीम का वर्ष 2002 में न केवल सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के विद्यालय को कवर करने के लिए अपितु शिक्षा गारंटी स्कीसम (ईजीएस) और वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा (एआईई) केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक भी विस्ताअर किया गया था।

सितम्बर, 2004 में स्कीम को दालों, वनस्पति खाने के तेल, मसालों, ईंधन की लागत और खाना पकाने के लिए जिम्मेदार एजेंसी के कार्मिकों को देय मजदूरी और पारिश्रमिक या देय राशि को कवर करने के लिए 1 रु. प्रति बच्चा प्रति विद्यालय दिन की दर से खाना पकाने के लागत के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया था। परिवहन आर्थिक सहायता को विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पहले के अधिकतम 50 रु. प्रति क्विंटल से 100 रु. और अन्य राज्यों के लिए 75 रु. प्रति क्विंटल तक भी बढ़ाया गया था। खाद्यान्नों की लागत, परिवहन आर्थिक सहायता और खाना पकाने में सहायता की लागत के 2 प्रतिशत की दर से स्कीम के प्रबंध, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए पहली बार केन्द्रींय सहायता प्रदान की गई थी। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान मध्याह्न भोजन देने के लिए भी प्रावधान किया गया था।

जुलाई, 2006 में स्कीम को पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों के लिए 1.80 रु. प्रति बच्चा स्कूल दिन और अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 1.50 रु. प्रति बच्चे स्कूल दिन की खाना पकाने की लागत को बढ़ाने के लिए और

संशोधित किया गया था। पौषाणिक मानदण्ड को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन के लिए संशोधित किया गया था। रसोई–सह–भंडार के निर्माण और स्कूलों में रसोई उपकरणों की खरीद में सुविधा देने के उद्देश्य से चरणबद्ध ढंग से 60,000 रु. प्रति यूनिट की दर से केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया था।

अक्टूबर 2007 में, स्कीम का 3,479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में अपर प्राइमरी स्कूलों (अर्थात कक्षा VI से VIII) में पढ़ने वाले बच्चों को कवर करने के लिए विस्तार किया गया था और स्कीम का नाम 'राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम' से बदल कर 'स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम' कर दिया गया था। अपर प्राथमिक अवस्था के लिए पौषाणिक मानदण्ड 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन निश्चित किया गया था। दिनांक 01.04.2008 से स्कीम को देश भर में सभी क्षेत्रों के लिए विस्तागर दिया गया था।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

1986 की नई शिक्षा नीति और 1992 में उसमें किए गए संशोधन तथा इसकी कार्य योजना के अनुरूप सबको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की एक नई पहल की गयी। इसमें सबको शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना में गयी रणनीति को विकेंद्रित रूप में लागू करने की बात कही गयी है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक ऐसी परियोजना है जिसमें 85 प्रतिशत धन केंद्र सरकार और 15 प्रतिशत धन सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

डीपीईपी अपने सर्वाधिक प्रचालन में 18 राज्यों में 273 जिलों में सक्रिय था। परंतु कार्यक्रम के विभिन्न चरणों के उत्तरोत्तर बंद किये जाने से अब यह केवल दो राज्यों–राजस्थान व उड़ीसा के 17 जिलों में सक्रिय है।

वर्तमान काल में स्कूलों की सुविधा हर जगह उपलब्ध है। देश की 94 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को एक किमी. की दूरी के अंदर ही प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। जहां तक उच्च प्राइमरी शिक्षा का प्रश्न है, यह दूरी 3 किमी है। प्राइमरी स्तर पर संपूर्ण देश एवं अधिकांश राज्यों में सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक है। किंतु कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ यह अनुपात काफी कम है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर और मेघालय शामिल हैं। इन राज्यों के अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जहाँ उच्च प्राइमरी स्तर पर सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। इन राज्यों में अधिकांशतः साक्षरतादर राष्ट्रीय औसत से कम है।

प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है, किंतु यह कार्यक्रम लैंगिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं को ध्यान में रखे बिना सफल नहीं हो सकता है। प्राइमरी स्तर पर लड़कियों का नामांकन 1950–51 के 54 लाख से बढ़कर 1998–99 में 4.82 करोड़ हो चुका था। उच्च प्राइमरी स्तर पर यह संख्या 1950–51 के 5 लाख से बढ़कर 1.63 करोड़ तक पहुँच चुकी है। वर्तमान काल में लड़कियों के नामांकन की दर लड़कों से अधिक है। किन्तु असमानताएं आज भी स्पष्ट दृष्टिगोचर है। प्राइमरी स्तर पर लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत 43.5 और उच्च प्राइमरी स्तर पर 40.5 है। लड़कियों द्वारा बीच में शिक्षा छोड़ने की दर भी लड़कों से अधिक है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा पर उक्त अधिनियम का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है लेकिन अब भी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यात्रा बहुत लम्बी है परन्तु इन सबके बाद एसे कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे हम शीघ्र अति शीघ्र प्राथमिक शिक्षा की ऊँचाइयों तक पहुच सकें। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही एक विद्यार्थी का भविष्य निर्धारित करती है जो वास्तव में राष्ट्र निर्माण की आधारशिला होता है।

सन्दर्भ

1. गोविन्दा, आर और मधुमिता बांडोपाध्याय (2011)। गुणवत्ता के माध्यम से बहिष्कार पर काबू पाने, स्कूली शिक्षा बनाये, रिसर्च मोनोग्राफ नं0 6 मई, 2011
2. हार्मेमा जोना (2011), भारत में कम लागत वाली निजी स्कूली शिक्षा, क्या यह गरीब न्यायसंगत है? इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ डेवलपमेंट 31 पीपी 350–356
3. किंगडन जी. 2007, भारत में स्कूल शिक्षा की प्रगति, वैश्विक गरीबी अनुसंधान समूह–डब्ल्यू पी0एस0–071
4. किंगडन गीता और रूकमणी बनर्जी, 2009, स्कूल की गुणवत्ता को संबोधित करना : कुछ पॉलिसी प्वांइटर से ग्रामीण उत्तर भारत। नीति संक्षिप्त संख्या 5, सितम्बर 2009, शैक्षिक पर अनुसंधान कंसोर्टियम : परिणाम और गरीबी।
5. मुरलीधरन, के0 और एम0 क्रेमर 2006, ग्रामीण भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूल, माइमो, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, मार्च।
6. एसएसओ (2010) भारत में शिक्षा, 2007–08, भागीदारी और व्यय। एनएसएस 64वे दौर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सरकार भारत की।